(167)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. कैम्प सागर (म.प्र.)

18 JAN 2017

127
30-01-17

R-453-I-17

1. हाकमसींग पिता स्व0 बलवानसींग लोधी
2. गोकलसींग पिता स्व0 बलवानसींग लोधी

दोनों निवासी हरुद्आ सुम्मेरसिंह, तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.)

.........................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1. दौलतसींग आत्मज उत्तमसींग लोधी निवासी हरदुआ सुम्मेरसिंह, तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.)
2. बेलाबाई पिता स्व0 उत्तमसींग लोधी निवासी बेलखेड़ा, तहसील पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.)
3. नन्नीबाई पिता स्व0 उत्तमसींग लोधी निवासी पटेरिया, तहसील तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह (म.प्र.)

.................उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण–अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा द्वारा राजस्व अपील कमांक 53अ/27, वर्ष 2015–16, पक्षकार दौलतसींग बनाम् हाकमसींग + 03 अन्य में पारित अंतरिम आदेश (अंतर्गत धारा 5, परिसीमा अधिनियम) दिनांक 21.12.2016 से पीड़ित व दुःखी होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि उत्तरवादी/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा जिला दमोह के समक्ष एक राजस्व अपील तहसीलदार महोदय जबेरा के द्वारा रा0प्र0क0 10अ/27, वर्ष 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा द्वारा उत्तरवादी (अपीलार्थी) का आवेदन अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का स्वीकार किया है, जिससे पीड़ित होकर यह पुनरीक्षण याचिका

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 453–एक / 2017 जिला दमोह

हाकमसींग आदि विरूद्ध दौलतसींग आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 53 / अ–27 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2 / पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायाल्य में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 7/3/19 सदस्य	